भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4185
उत्तर देने की तारीख-01/04/2026

अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा

4185 **श्रीमती राजाथी:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त सेवारत शिक्षकों का प्रतिशत इस श्रेणी में नहीं आने वाले शिक्षकों के मुकाबले क्या है;
(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार के अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है और सेवारत शिक्षकों को अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा पर संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है; और
(घ) देश भर में व्याप्त इस संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए आरटीई अधिनियम और एनसीटीई अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है और शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें तथा तैनाती संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है। तमिलनाडु राज्य सहित भारत में दिनांक 23 अगस्त, 2010 से पहले नियुक्त सेवारत शिक्षकों का प्रतिशत इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले शिक्षकों के प्रतिशत से संबंधित आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 01.09.2025 के अपने निर्णय के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया है कि टीईटी अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं में से एक है और इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश निम्नलिखित लिंक:

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2018/36466/36466_2018_9_1501_63764_Judgement_01-Sep-2025 pdf पर देखा जा सकता है।

*****